35

सं0 560 /IV(2)-श0वि0-2013-05(सा0)10

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक- 02 मई अप्रैल, 2013

विषयः- जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था पेयजल निगम द्वारा क्रियान्वियत की जा रही योजनाओं हेतु सेन्टेज चार्जेज की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 525/IV(2)-श0वि0-10-05(सा0)/10 दिनांक 29-3-2010, संख्या 377/IV(2)-श0वि0-11-05(सा0)/10 दिनांक 24-3-2011, संख्या 1365/IV(2)-श0वि0-11-05(सा0)/10, दिनांक 04-11-2011, संख्या 1073/IV(2)-श0वि0-12-05(सा0)/10, दिनांक 14-08-2012 एवं संख्या 1460/IV(2)-श0वि0-12-05(सा0)/10, दिनांक 25-10-2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं मसूरी की पेयजल/सीवरेज योजनाओं हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रू. 24999.76 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू. 500.00 लाख, रू. 764.43 लाख, रू. 654.49 लाख, रू. 500.00 लाख एवं रू. 350.97 लाख, इस प्रकार कुल रू. 2769.89 लाख सेन्टेज अवमुक्त किया गया है।

2- उपरोक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 269/नगरीय अनुभाग/JnNURM/37, दिनांक 14.02.2013 के अनुसार जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं पर हुए कुल व्यय में से भूमि पर हुए व्यय तथा प्रशासनिक व्यय को घटाते हुए कुल आंकलित सेन्टेज रू. 3544.28 लाख में से वर्तमान तक अवमुक्त सेन्टेज रू. 2769.89 लाख को घटाने के उपरान्त अवशेष सेन्टेज रू. 774.39 लाख **(रूपये सात करोड़ चौहत्तर लाख उनचालीस हजार मात्र)** को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(i) उक्त धनराशि रू. 774.39 लाख **(रूपये सात करोड़ चौहत्तर लाख उनचालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) भारत सरकार द्वारा जिन योजनाओं हेतु प्रशासनिक प्रभार अनुमन्य किया है उनमें प्रशासनिक प्रभार की राशि को भी सेन्टेज प्रभार की देय राशि की गणना के लिए कुल लागत में कम किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में सेन्टेज उतना प्रतिशत कम देय होगा जितना प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार भारत सरकार ने अनुमन्य किया है।

(iii) पेयजल निगम को उपरोक्त धनराशि यदि किसी अन्य श्रोत से प्राप्त होती है अथवा प्राप्त हुई है, तो पेयजल निगम द्वारा धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून का होगा।

(iv) जिन योजनाओं के लिए उक्त सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त की जा रही है, उन योजनाओं की लागत, भू–अर्जन की लागत, शेष लागत तथा उसपर देय सेन्टेज का विवरण अलग–अलग रखा जायेगा और लेखांकन सही प्रकार से रखा जायेगा।

(v) स्वीकृत किए जा रहे सेन्टेज से प्रथमतः जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का कियान्वयन कर रहे प्रभाग के कार्मिकों का वेतन भुगतान किया जाए। तदोपरान्त धनराशि अवशेष बचने पर ही निगम के अन्तर्गत अन्य परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों का वेतन भुगतान किया जाएगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0: 62 /XXVII(2)/2012, दिनांक 1 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–201 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S1305130003 दिनांक 1 मई, 2013 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

सं0 560 /IV(2)-श0वि0–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के शासनादेशों में इसे शामिल करें।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुमन चन्द्र)
उप सचिव।